न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या /2021/दावा

बिहारीलाल आयु 70 साल पुत्र किशनलाल गोदपुत्र कालूलाल जाति माली निवासी ग्राम बपावरकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1.जसवन्त पुत्र श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
2.दीनदयाल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
3.गायत्रीबाई पुत्री श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
4.गोपालीबाई पुत्री श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
5.कन्याबाई पुत्री श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
6.दयालबाई पुत्री श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
7.पार्वतीबाई पुत्री श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
8.मन्नीबाई बेवा श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सॉगोद,
9.भूमिधारी राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

1.श्री नरेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
2.श्री दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
3.श्री जयवर्द्धन गौतम एडवोकेट(प्रतिवादी)

—:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 15.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने इस न्यायाल[illegible] का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर **174** रकबा **0.66** हैक[illegible] तहसील सॉगोद में तथा ख.नं. **94** की **1.66**, ख.नं. **96** [illegible] **1.20**, [illegible] की **0.50**, ख.नं. **19**[illegible] **0.02**, ख.नं. **198** की **0.05**, ख.नं. **267** की **0.84**, ख.नं. **268** की **0.09**, ख.नं. **269** की **0.43**, ख.नं. **271** की **0.37**, ख.नं. **272** की **1.05**, ख.नं. **273** की **0.96**, ख.नं. **278** की **0.68**, ख.नं. **280** की **0.52**, ख.नं. **281** की **1.06**, ख.नं. **606** की **0.78**, ख.नं. **607** की **0.19**, ख.नं. **611** की **0.18**, ख.नं. **612** की **0.09**, ख.नं. **618** की **0.32**, ख.नं. **620** की **0.18**, ख.नं. **621** की **0.17**, ख.नं. **628** की **0.39**, ख.नं. **729** की **0.47**, ख.नं. **730** की **0.18**, ख.नं. **739** की **0.**

ख.नं. 745 की 0.17, ख.नं. 746 की 0.17, ख.नं. 748 की 0.21, ख.नं. 749 की 0.12, ख.नं. 765 की 0.06, ख.नं. 775 की 0.05, ख.नं. 782 की 0.14, ख.नं. 783 की 0.10, ख.नं. 799 की 0.63, ख.नं. 1143 की 3.13, ख.नं. 1154 की 0.49, ख.नं. 1155 की 0.26, ख.नं. 1157 की 0.25 कुल किता 42 की कुल 18.82 हैक्टर आराजी माल ग्राम खडिया तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खडिया के किता 42 की 18.82हैक्टर आराजी में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 7 के पिता स्व.बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल का 1/5 हिस्सा निहित था तथा बद्रीलाल जी ने ग्राम खडिया की वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं की 1/5 हिस्सा आराजी का 1/7वॉ हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 1/35वॉ हिस्सा एवं माल ग्राम बपावरकलॉ की वादग्रस्त आराजी में बद्रीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2009001444 दिनॉक 10.05.2010 से वादी को विकय कर कब्जा आराजी मौके पर वादी केता को भली भांति रूप से सम्भला दिया था तथा वादी द्वारा नकल बैनामा उसी वक्त पटवारी हल्का को वास्ते खोलने इन्काल दे दी थी जिन्होने वादी को इन्तकाल खोल देने का आश्वासन दिया था जिस पर वादी ने विश्वास कर लिया था किन्तु गत सप्ताह वादी बकाया लगानराज जमा करवाने को गया तो हाल पटवारी द्वारा कयशुदा आराजी वादी के नाम दर्ज नहीं होने व बद्रीलाल द्वारा विकीत हिस्सा आराजी उसके वारिसान प्रतिवादी कं. 1 लगायत 8 के नाम अंकित होने की बात कही तो वादी को प्रथम बार इल्म हुआ कि वादी की कयशुदा आराजी वादी के नाम अंकित नहीं हुई है तथा वादी की कयशुदा आराजी में विकेता बद्रीलाल के स्थान पर उनके वारिसों प्रतिवादी कं. 1 लगायत 7 का नाम अंकित कर दिया गया है जिसे यदि दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। भूमिधारी होने से तहसीलदार सॉगोद को वाद [illegible] बनाया गयाहै। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का द्वारा वादी [illegible] अंकित नहीं होने एवं बद्रीलाल के स्थान पर उनके वारिसों प्रतिवादी कं. [illegible] लगायत 8 का नाम अंकित कर देने की बात कहने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम बपावरकलॉ तहसील सॉगोद में स्थित खसरा नम्बर 174 रकबा 0.66 हैक्टर आराजी में विकेता बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल के नाम अंकित हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बद्रीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित किया जावे तथा माल ग्राम खडिया तहसील सॉगोद में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

268 की 0.09, ख.नं. 269 की 0.43, ख.नं. 271 की 0.37, ख.नं. 272 की 1.05, ख.नं. 273 की 0.96, ख.नं. 278 की 0.68, ख.नं. 280 की 0.52, ख.नं. 281 की 1.06, ख.नं. 606 की 0.78, ख.नं. 607 की 0.19, ख.नं. 611 की 0.18, ख.नं. 612 की 0.09, ख.नं. 618 की 0.32, ख.नं. 620 की 0.18, ख.नं. 621 की 0.17, ख.नं. 628 की 0.39, ख.नं. 729 की 0.47, ख.नं. 730 की 0.18, ख.नं. 739 की 0.18, ख.नं. 741 की 0.10, ख.नं. 742 की 0.14, ख.नं. 743 की 0.14, ख.नं. 744 की 0.10, ख.नं. 745 की 0.17, ख.नं. 746 की 0.17, ख.नं. 748 की 0.21, ख.नं. 749 की 0.12, ख.नं. 765 की 0.06, ख.नं. 775 की 0.05, ख.नं. 782 की 0.14, ख.नं. 783 की 0.10, ख.नं. 799 की 0.63, ख.नं. 1143 की 3.13, ख.नं. 1154 की 0.49, ख.नं. 1155 की 0.26, ख.नं. 1157 की 0.25 कुल किता 42 की कुल 18.82 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 8 के नाम अंकित हिस्सा 1/5 का 1/7 हिस्सा अर्थात् कुल आराजी के 1/35 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 ता 8 के नाम त्रुटिपूर्ण हिस्सा अंकित होने मात्र के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय, खुर्दबुर्द, अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें, न ही किसी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन करवावें तथा प्रतिवादी कं. 1 ता 8 वादग्रस्त आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त एवं उपयोग—उपभोग से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों, कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त [illegible] की ओर से [illegible] ने उपस्थित होकर जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी डिक्री [illegible] में सहमति व्यक्त की। चूंकि विक्रेता बद्रीलाल द्वारा वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा [illegible] विक्रय की है तथा बाद विक्रय विक्रेता बद्रीलाल की मृत्यु होने से राजस्व रिकार्ड [illegible] बद्रीलाल के स्थान पर विक्रीत सम्पत्ति में उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी कं. 1 लगायत 8 का नाम अंकित हुआ है जबकि जो भूमि विक्रेता बद्रीलाल द्वारा वादी को विक्रय कर दी, वह भूमि उसके वारिसों के नाम अंकित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा रजिस्टर्ड बैनामें से विक्रय किया गया हिस्सा आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकित किया

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम बपावरकलॉ तहसील सॉगोद में स्थित खसरा नम्बर **174** रकबा **0.66** हैक्टर आराजी में बद्रीलाल पुत्र घांसीलाल के नाम अंकित हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त आराजी में अंकित बद्रीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित किया जावे तथा माल ग्राम खडिया तहसील सॉगोद में स्थित ख.नं. **94** की **1.66**, ख.नं. **96** की **1.20**, ख.नं. **97** की **0.50**, ख.नं. **195** की **0.02**, ख.नं. **198** की **0.05**, ख.नं. **267** की **0.84**, ख.नं. **268** की **0.09**, ख.नं. **269** की **0.43**, ख.नं. **271** की **0.37**, ख.नं. **272** की **1.05**, ख.नं. **273** की **0.96**, ख.नं. **278** की **0.68**, ख.नं. **280** की **0. 52**, ख.नं. **281** की **1.06**, ख.नं. **606** की **0.78**, ख.नं. **607** की **0.19**, ख.नं. **611** की **0.18**, ख.नं. **612** की **0.09**, ख.नं. **618** की **0.32**, ख.नं. **620** की **0.18**, ख.नं. **621** की **0.17**, ख. नं. **628** की **0.39**, ख.नं. **729** की **0.47**, ख.नं. **730** की **0.18**, ख.नं. **739** की **0.18**, ख.नं. **741** की **0.10**, ख.नं. **742** की **0.14**, ख.नं. **743** की **0.14**, ख.नं. **744** की **0.10**, ख.नं. **745** की **0.17**, ख.नं. **746** की **0.17**, ख.नं. **748** की **0.21**, ख.नं. **749** की **0.12**, ख.नं. **765** की **0.06**, ख.नं. **775** की **0.05**, ख.नं. **782** की **0.14**, ख.नं. **783** की **0.10**, ख.नं. **799** की **0. 63**, ख.नं. **1143** की **3.13**, ख.नं. **1154** की **0.49**, ख.नं. **1155** की **0.26**, ख.नं. **1157** की **0.25** कुल किता **42** की कुल **18.82** हैक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 8 के नाम अंकित हिस्सा 1/5 का 1/7 हिस्सा अर्थात् कुल आराजी के 1/35 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार [illegible] जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद